हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Raipur Main - 08 Sep 2025 - Page 2

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

सीमांकन विवाद मामलों के निपटारे के लिए कमिश्नर की नियुक्ति जरुरी

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बिलासपुर

जमीन विवाद से जुड़े खासकर सीमांकन विवाद के मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि सीमांकन विवाद से जुड़े मामलों के लिए कमिश्नर की नियुक्ति जरुरी है। निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत को याचिकाकर्ता के जमीन के सीमांकन के लिए कमिश्नर की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। सिविल कोर्ट ने दो भाइयों के मामले को निरस्त कर दिया था। फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बिलासपुर जिले के तखतपुर गनियारी के दो नाबालिग भाइयों लोकेश कुमार व हेमंत कुमार ने गांव के ही लोगों द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाने की शिकायत की जानकारी दी है।

बिना ठोस कारण बताए याचिका खारिज

याचिकाकर्ता भाइयों ने बताया कि उनके स्वामित्व वाली जमीन में गांव के गौतम प्रसाद, जनक राम, सुरेश साहू समेत अन्य ने जमीन के एक हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के बाद अब मकान व आंगन का निर्माण शुरु कर दिया है। याचिकाकर्ता भाइयों ने अपनी याचिका में कहा है कि कब्जाधारियो से बेदखली की मांग करते हुए सीपीसी के आदेश 26 नियम 9 के तहत स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति की मांग करते हुए निचली अदालत में आवेदन पेश किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि उनकी मांग को निचली अदालत ने बिना ठोस कारण बताए खारिज कर दिया है।